न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी

प्रकरण संख्या 08/20

1. मानसिंह
2. श्रीनिवास } पुत्रगण तुकमानसिंह जाति ठाकुर निवासी पूठपुरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर

..प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी बहैसियत लैण्ड होल्डर।

....................................अप्रार्थी

पीठासीन अधिकारी राधेयशम मीना आर.ए.एस.

वकील प्रार्थी – श्री दिलीप शर्मा एडवोकेट

वकील अप्रार्थी – पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 29.01.2021**

हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्राथीगण तुकमानसिंह पुत्र महाराजसिंह जाति ठाकुर निवासी पूठपुरा तहसील बसेडी धौलपुर के पुत्र है । उनके द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता आराजी खसरा नम्बर 1977 रकवा 0.2000 है0, ख0न0 1978 रकवा 0.1100 है0, ख0न0 1979 रकवा 0.1000 है0, ख0न0 1980 रकवा 0.4300 है0, कुल किता 4 कलु रकवा 0.8400 है0 बाके ग्राम पूठपुरा तहसील बसेडी धौलपुर में 5/12 हिस्सा आराजी का काबिज खातेदार काश्तकार है। बाके ग्राम पूठपुरा तहसील बसेडी धौलपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 तक के बाद अनुसार प्रार्थीगण के पिता का देहान्त हो गया है। प्रार्थीण के विधिक वारिसान है। अभी नामान्तकरण नही हुआ है। आराजी खसरा नम्बर 1977 रकवा 0.2000 है0, ख0न0 1978 रकवा 0.1100 है0, ख0न0 1979 रकवा 0.1000 है0, ख0न0 1980 रकवा 0.4300 है0, कुल किता 4 कलु रकवा 0.8400 है व प्रार्थीगण द्वारा पर्वू में तहसीलदार बसेडी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.12.2019 को रिपोर्ट पेश की गई जिसमें प्रार्थीगण के पिता का हिस्सा गलत होना स्वीकार किया है व प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थना की है कि प्रार्थीगण के पिता का हिस्सा शुद्व किये जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहसीलदार बसेडी (राजकीय पैरोकार) ने दिनांक 12.01.2021 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि जमाबन्दी सम्वत् 2048 लगायत 2057 में प्रार्थीगण के पिता का हिस्सा 5/12 दर्ज है। बन्दोवस्त द्वारा जमाबन्दी संन् 2005 से 2025 में सहवन से राजस्व रिकार्ड में 5/12 के स्थान पर 1/8 दर्ज हो गया है । व मौके पर प्रार्थीगण 5/12 हिस्से पर ही काबिज है प्रकरण स्वीकर योग्य है

मेरे द्वारा उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2048–2057 , नकल जमाबन्दी 2052–2055 जमाबन्दी सम्वत् 2071 –2074 , 2056–2059 व सन् 2005 से 2025 नकल मिलान क्षेत्रफल, व हसल रिपोर्ट पटवारी हल्का बसेडी प्रथम का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में तुकमानसिंह के नाम बन्दोवस्त से पूर्व 5/12 हिस्सा दर्ज है लेकिन दौराने बन्दोवस्त 5/12 के स्थान पर 1/8 हिस्सा कर दिया है जो लिपकीय भूल है जिसे मेरी राय में शुद्व किया जाना उचित है ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बसेडी को आदेश दिया जाता है कि तुकमानसिंह पुत्र महाराजसिंह जाति ठाकुर निवासी पूठपुरा आराजी खसरा नम्बर 1977 रकवा 0.2000 है0, ख0न0 1978 रकवा 0.1100है0, ख0न0 1979 रकवा 0.1000 है0, ख0न0 1980 रकवा 0.4300 है0, कुल किता 4 कलु रकवा 0.8400 है0 बाके ग्राम पूठपुरा तहसील बसेडी धौलपुर में 1/8 के स्थान पर हिस्सा 5/12 शुद्व किया जावे। तद्नुसार रिकार्ड में अमल किया जावे।

आज दिनांक 29.01.2021 को यह फैंसला मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी
बसेडी

उपखण्ड अधिकारी
बसेड़ी (धौलपुर) राज.